



बिहार सरकार

**कार्यालय, नगर पंचायत, बारुण, औरंगाबाद**  
ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-02/2026-27  
(E-Tendering On website - [eproc2.bihar.gov.in](http://eproc2.bihar.gov.in))

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारुण, औरंगाबाद
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि :- दिनांक-16/09/2026
3. निविदा अपलोड करने की प्रारंभ तिथि/समय:- दिनांक-08/10/2026 को 10:00 बजे पूर्वाह्न से  
(on [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
4. प्री बीड मीटिंग का समय स्थान एवं तिथि :- दिनांक-09/10/2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न स्थान -  
कार्यालय नगर पंचायत, बारुण के सभागार में।
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि/समय :- दिनांक-15/10/2026 को 03.00 बजे अपराह्न तक  
(on [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक-16/10/2026 को 03.30 बजे अपराह्न के बाद  
(on [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात्।
8. निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे - सभी शपथ-पत्र (मूल में), Existing Commitment (मूल में) अग्रधन राशि के रूप में जमा बैंक गारंटी मूल प्रति/ऑनलाइन जमा प्राप्ति प्रति (मूल में), परिमाण विपत्र का ऑनलाइन जमा प्राप्ति प्रति (मूल में) एकरारनामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
9. कार्य का विवरण :-

| क्र० सं० | कार्य क्षेत्र का नाम | कार्य का नाम                                                                  | परिमाण विपत्र की राशि (रु० में) | अग्रधन की राशि (2 प्रतिशत) | परिमाण विपत्र का मूल्य (Through online payment) | Bid Processing Fee (Through online payment)(अप्रत्यर्पण फी) (रु० में) | कार्य समाप्ति की अवधि (इन्क्लुडिंग योनसुन की अवधि माह में) |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1        | नगर पंचायत बारुण     | 05TPD सुखे कचड़ों को प्रसंस्करण हेतु MRF Center का निर्माणकार्य।              | 9806508.00                      | 196200.00                  | 10,000.00                                       | As Per E-Proc2                                                        | छः माह                                                     |
| 2        | नगर पंचायत बारुण     | 05 TPD गीले कचड़ों का प्रसंस्करण हेतु कम्पोस्ट पीट (Windrow)का निर्माण कार्य। | 5404388.00                      | 108100.00                  | 10,000.00                                       | As Per E-Proc2                                                        | छः माह                                                     |

**Note :- Bidders should submit Bid Processing fee through on-line Payment as Per Amount Generated on Website <https://eproc2.bihar.gov.in>**

10. निविदा की वैधता अवधि :-180 दिन
11. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा :-  
(i) "Bid Processing Fee" is and Transaction Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit/debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS.  
(ii) " Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) before the date and time specified in the NIT. The

*June 16/09/2026*

department doesn't take any responsibility for the delay /non submission of tender /Non Reconciliation of online payment caused due to Non-availability of internet connection, Network Traffic/Holidays or any other Reason.

12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय /राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबंधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीयस्तर के ही निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफएक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।

13. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) अथवा [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) में देखा जा सकता है।

14. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदको का ई-टेंडरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें ([eproc2.bihar.gov.in](http://eproc2.bihar.gov.in)) से डाउनलोड करने/ई-टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क, निःशुल्क दूरभाष संख्या -8294365464 से सम्पर्क किया जा सकता है।

15. संवेदको को कार्यस्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

16. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (Debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(2) निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद कोई संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि :-

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किया गया हो।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, निविदा के शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) पार्टनरशिप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी /सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

#### 17. परिमाण विपत्र :-

उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) ऑनलाइन के रूप में जमाकरना होगा।

##### (1) अग्रधन

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की जो बैंक गारंटी /ऑनलाईन के रूप में कार्यपालक पदाधिकारी के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त (Pledge) हो (मूल में) जमा करना अनिवार्य होगा।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद/ब्याज विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्व-हस्ताक्षरित अभिप्रमाणित होना चाहिए जिसमें तिथि नाम के साथ एवं मोबाईल नम्बर अंकित हो।

(क) वैध निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(घ) पैन कार्ड की प्रति।

(ङ) संवेदक को जिला पुलिस के द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र जो निविदा की तिथि तक मान्य हो जमा करना होगा।

(च) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची (मूल में) अपलोड।

(छ) अद्यतन आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष-2022-23/2023-24/2024-25 में किसी 01 वर्ष का)

(ज) पार्टनरशिप एवं कम्पनी के मामले में प्राईम पार्टनर का चरित्र प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

(3) घोषण प्रमाण पत्र (मूल में)/(शपथ पत्र मूल में) (अपलोड)

"मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम) .....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे /हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एकवित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Resceind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता /सहायक अभियंता /कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल एवं संबंधित नगर निकाय के बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

(ङ) संवेदक के पास मिक्सर मशीन, नोजल भाईट्रेटर, सेंट्रिंग, प्लेट, वाटर टैंकर, भवन निर्माण कार्य हेतु एलीमेंटर, स्टैजिंग पाइप (Alivator Staging Pipe) आदि स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ-पत्र एवं स्वामित्व प्रमाण-पत्र देना होगा। साथ ही उपकरण का स्वामित्व का कागजात भी संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा। उक्त यंत्र-संयंत्र का भौतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, औरंगरबाद/अधीक्षण अभियंता, नगर विकास अंचल, गया के द्वारा किया जाएगा। इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, औरंगरबाद/अधीक्षण अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, गया के द्वारा तकनीकी बीड के साथ समर्पित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन निविदा के अनुसार नहीं होगा तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जाएगी। उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके ऊपर विधि सम्मत दण्ड संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। चूंकि संवेदकों का निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठीकेदारी निबन्धन नियमावली-2007 के तहत काली सूची डिवार (Debar) तथा निलम्बन इत्यादि नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा करने का होगा, यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।

(च) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात (Website [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in)) पर अपलोड करना होगा।

(4) प्रतिशत दर निविदा :-

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय पटना, बिहार द्वारा CWJC No.9941/2022 दिनांक 06.07.2023 को पारित न्यायादेश एवं अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) का पत्रांक -4439 दिनांक 17.07.2023 के आलोक में न्यूनतम दर सीमा समाप्त करते हुए

परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान प्रासंगिक पत्र के अनुरूप लागू किया जाता है।

18. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी तथा आवंटन उपलब्ध रहने पर ही एकरारनामा एवं भुगतान किया जाएगा। इसके लिए निविदाता कोई अनुरोध मान्य नहीं होगा।

19. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

## 20. निविदा निष्पादन

(1) यदि निविदा की किसी कंडिका में निहित शर्तों के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकारकी जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

## 21. एकरारनामा

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट्ट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

## 22. अन्य शर्तें

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ग) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

(घ) सुरक्षित ग्रुप के निविदा में जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से निर्गत देना आवश्यक होगा।

(ड.) निविदादाता को संलग्न RFP की भातों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(च) उपरोक्त भातों के अतिरिक्त परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि 50 लाख से अधिक होन की स्थिति में निविदादाताओं को निम्नांकित भातों का अनुपालन करना होगा अथवा निविदा अमान्य कर दी जायेगी

(i) 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को एक वित्तिय बीड तथा एक तकनीकी बीड निविदा के साथ अपलोड करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वित्तिय बीड खोला जाएगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होंगे उनका वित्तिय बीड नहीं खोला जाएगा।

(ii) 50 लाख से अधिक निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में (निविदा तिथि के पूर्ववर्ती माह तक) किसी एक निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण-पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण-पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, ST, GST, Royalty, Net Payment, Gross Payment होगा।

(iii) 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुणनियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ-पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र-संयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी अपलोड करना होगा।

(iv) 50 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम-से-कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियंता होना चाहिए, तत्सम्बंधी उनका भापथ-पत्र एवं प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ-पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री-डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकार के

यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री-डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ-पत्र देगे तो उनकी निविदा अमान्य की दिया जायेगा।

23. MRF अधिष्ठापन कार्य हेतु निविदादाता/OEM को निविदा की तिथि से विगत 05 वर्षों में किसी भी 01 वर्ष में नगर निकाय/पंचायती संस्थान/सरकारी संस्थानों में न्यूनतम 05 TPD के MRF के उपकरणों की आपूर्ति/अधिष्ठापन अथवा संचालन का अनुभव अनिवार्य होगा।

24. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदको को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी। तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी एवं अग्रधन की राशि कार्य समाप्ति के 12 माह के बाद कार्य संतोषजनक पाये जाने पर विमुक्त की जाएगी।

25. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

26. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बारुण से संपर्क कर सकते हैं।

27. In the Unlikely event of the server for [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) being down for more than two consecutive hours (in the period from midlight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall automatically be extended to next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.

28. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. if they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/visibility of the scanned & uploaded file by them.

29. The bidders must use MS Office-2003 version File size should be less than 50 MB and should be in Ms word, Ms Excel, PDF and JPEG formats.

30. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last minute technical snags.

31. In exceptional circumstances, the competent authority, UDHD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.

32. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.

33. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-procurement website ([www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in)) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria/technical bids and other certificate/documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/authenticity.

34. **Corrigendum/Addendum, if any, will be published on the website itself.**

35. संवेदक द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान आवंटन (राशि) उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कोई भी सुद का दावा मान्य नहीं होगा।

36. अनियोजित अभियंता के लिए कर्णकित कार्यों हेतु -

(i) पथ निर्माण विभाग के प्र०-6/नियम-03-03/2001-1399(S) दिनांक - 31.01.2008 द्वारा सभीभार्तों का अनुपालन करना होगा।

(ii) शपथ-पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।

(iii) शपथ-पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अब तक अनियोजित है।

Sumit  
16/09/2026

37. वर्णित योजनाओं की निविदा विभागीय निदेश के अनुपालन में किया जाता है। संवेदक द्वारा योजना कार्यान्वयन हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदको को किसी प्रकार का भुगतान उनकपक्ष में निविदा प्रक्रिया में चयनित एवं उक्त योजना विशेष के लिए ही प्राप्त आवंटन के आलोक में किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में दूसरे/अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त राशि से विपत्र का भुगतान संभव नहीं होगा।
38. कार्यक्रम निर्धारित तिथि को राजकीय अवकाश रहने पर आगामी कार्य दिवस पर कार्य सम्पन्न किया जायेगा।
39. निविदा आमंत्रण सूचना की सभी भातें एकरारनामा का अंश होगा।

*Jun 11*  
*16/09/2026*

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, बारुण।

झापांक.....**858**...../न०पं०, बारुण दिनांक...**16/09/2026**...../

प्रतिलिपि:- निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटनाको सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ समर्पित।

*Jun 11*  
*16/09/2026*

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, बारुण।